A-
1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 102 / 2020

उम्मेद सिंह पुत्र हरनारायण, जाति जाट, निवासी किठाना, पंचायत समिति चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं वगैरह।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. धमेन्द्र पुत्र हरचन्द, जाति जाट, निवासी ग्राम किठाना, पंचायत समिति चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील अन्तर्गत नियम 21 राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम 1994 अपील खिलाफ आदेश दिनांक 13.03.2020 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, चिडावा बाबत ग्राम पंचायत किठाना के वार्ड नं0 1 के मतदाता कम सं0 375 को हटवाने बाबत।

––

उपस्थित

1. श्री इन्दुभूषण शर्मा, एडवोकेट– अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से
3. श्री कैलाश कल्याण, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से

आदेश

दिनांक 24.08.2020

उक्त विषयक अपील मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश दिनांक 13.03.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट के अनुसार निम्नानुसार है कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट नं0 1 के समक्ष रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम ग्राम पंचायत किठाना के वार्ड न0 1 मतदाता कम सं0 375 से हटवाने के लिए प्रारूप सं0 2 मे आवेदन पत्र पेश किया था जिसे रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने आदेश दिनांक 13.03.2020 के द्वारा अस्वीकार किया इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश हैः– आदेश जैर बहस के आधार अनुचित है। आदेश जैर बहस स्पिकिंग नही है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 का नाम विधान सभा पिलानी व झुंझुनूं की मतदाता सूची सन् 2020 मे दर्ज है तथा इस बाबत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम ग्राम पंचायत किठाना, पंचायत समिति चिडावा के वार्ड नं0 1 के मतदाता कम सं0 375 से हटाये जाने का आदेश दिया जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A-4/2

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि आदेश जैर बहस के आधार अनुचित है। आदेश जैर बहस स्पिकिंग नही है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 का ग्राम पंचायत किठाना के अलावा ग्राम नेहरा की ढाणी, एवं विधान सभा पिलानी की मतदाता सूची सन् 2020 मे दर्ज है। अतः अपील पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम ग्राम पंचायत किठाना, पंचायत समिति चिडावा के वार्ड नं0 1 के मतदाता क्रम सं0 375 से हटाये जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का समर्थन किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 ग्राम पंचायत किठाना के अलावा ग्राम नेहरा की ढाणी, ग्राम पंचायत किठाना एवं विधान सभा क्षेत्र पिलानी मे भी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम ग्राम पंचायत किठाना, पंचायत समिति चिडावा के वार्ड नं0 1 के मतदाता क्रम सं0 375 से हटाये जाने का आदेश दिया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 2 ग्राम पंचायत किठाना का निवासी है। रेस्पो0 सं0 2 के बाप–दादाओं के नाम 30–40 वर्षो से ग्राम पंचायत किठाना की मतदाता सूची मे है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम ग्राम पंचायत किठाना, पंचायत समिति चिडावा के वार्ड नं0 1 के मतदाता क्रम सं0 375 मे यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। **राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के बिन्दू सं0 21 के उप बिन्दू 1 मे वर्णित नियम 14 या 20 के अनुसार जिला कलेक्टर को अपील निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के 15 दिवस मे मे ही करनी होगी। राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के बिन्दू सं0 21 ए मे वर्णित नियम 20 और 21 के अनुसार मतदाता सूची मे नाम संशोधन नही किया जावेगा, स्थानान्तरित नही किया जावेगा, विलोपित नही किया जावेगा जब तक कि सार्वजनिक नोटिस नियम 23 या 58 मे संबंधित मतदाता को नही दे दिया गया हो।** चूंकि वर्णित अपील मे रेस्पो0 सं0 2 का नाम ग्राम नेहरा की की ढाणी, ग्राम पंचायत किठाना एवं ग्राम किठाना, ग्राम पंचायत किठाना दोनो जगहों की मतदाता सूची मे दर्ज है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) चिडावा को आदेश दिये जाते है कि **राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के बिन्दू सं0 21 ए मे वर्णित नियम 20 और 21 के अनुसार नियम 23 या 58 मे सार्वजनिक नोटिस जारी कर दो मे से एक जगह की मतदाता सूची नाम जारी रखते हुए दूसरे ग्राम की मतदाता सूची से नाम हटावे। साथ रेस्पो0 सं0 2 के विरूद्ध दो जगह मतदाता सूची मे नाम रखने पर विधि के अनुसार कार्यवाही करे।** मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 24.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू
24/08/20